कार्यालय उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा अजमेर मण्डल, अजमेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा 1971 के नियम 25 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषानुसार शिड्यूल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृखला वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा– अंग्रेजी के पदो पर संलग्न सूची में अंकित अध्यापकों का उनके नाम के सम्मुख अंकित चयन वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध चयन किए जाने एवं राज्य सरकार के पत्रांक पं. 17 (4) शिक्षा–2 /2009 पार्ट दिनांक 16.10.17 एवं समसख्यक दिनांक 17.10.17 के अनुसरण में दिनांक 25.10.17 को आयोजित परामर्श केम्प में उपस्थित नहीं होने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है । इन्हे चयनित वर्ष से नियमानुसार पे बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे 4200 देय होगा । पूर्व से ही उच्चतर वेतनमान पा रहे कार्मिको को उनका विद्यमान वेतन ही देय होगा ।

सम्बन्धित संस्था प्रधान/ कार्यालयध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्न बिन्दूओं की पालना सुनिश्चित कर लें ।

1 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–7 (1) डीओपी / ए–II / 95 दिनांक 20-6-2001 के प्रावधानानुसार दिनांक 01-06-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान न होने का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त किया जावे । अन्यथा स्थिति में सूचना इस कार्यालय को देवें ।

2 आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त / कार्यग्रहण करवाया जाए अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवे ।

3 संस्था प्रधान कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि सम्बन्धित कार्मिक स्नातक एवं बीएड की योग्यता रखता है। अयोग्य /अपात्र /वांछित / मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं रखने वाले कार्मिको को कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करे ।

4 सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध विभागीय जॉच चल रही हो / निलम्बित हो / न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो इस कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्यमुक्त किया जावे।

5 संस्था प्रधान कार्य ग्रहण कराने पर कार्मिक की सेवा पुस्तिका में वर्तमान चयन वर्ष एवं विषय का स्पष्ट उल्लेख करे ।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिको को आदेश तामिल करवाने की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्यालयध्यक्ष की रहेगी । यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित / वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामिल करवाये जावें ।

पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान पर दिनांक 4.11.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा ।उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर स्वतः ही पदोन्नति परित्याग माना जावेंगा । सम्बन्धित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति ग्रहण करने हेतु यथासमय कार्यमुक्त करे । **यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो सम्बन्धित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को अनिवार्यतः भिजवाए एवं सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करे**

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनके कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/ प्रारम्भिक को प्रेषित करेगें ।

सलंग्न– सूची संख्या 01

(सीताराम गर्ग)
उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा,
अजमेर मण्डल, अजमेर

क्रमांक–उनिशि/मा/अज/संस्था–4/फा–264-267/2017/4002 दिनांक– 25-10-17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01– सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
02– विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान–जयपुर ।
03– निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान–बीकानेर ।
04– उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर मण्डल, अजमेर ।
05– जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय)/प्रारम्भिक, अजमेर/भीलवाडा/नागौर/टोंक
06– संबंधित संस्था प्रधान ।
07– संबंधित कर्मचारी ।
08– वरिष्ठता अनुभाग, स्थानीय कार्यालय ।
09– प्रभारी अधिकारी, डाटा एनेलेसिस, निदेशालय बीकानेर को वास्ते विभागीय साईट परअपलोड हेतु
10– रक्षित पत्रावली ।

(सीताराम गर्ग)
उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा,
अजमेर मण्डल, अजमेर

कार्यालय, उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, अजमेर मण्डल, अजमेर

क्रमांक: उनिशि / मा–अज / संस्था–4 / डीपीसी / पदस्थापन / 2017 / 4002 दिनांक : 25.10.2017

डीपीसी 2017–18 पदस्थापन विषय : विशेष शिक्षा – अंग्रेजी

क्र0 स0	मण्डल स्तर वरिष्ठता कमांक	उप क्रमांक	जिला	नाम कार्मिक / पिता का नाम मय पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	अजा / अजजा	वर्तमान पदस्थापन	पदोन्नति पद पदस्थापन	वि0वि0
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	7170		TNK	अशोक कुमार / रोहताश कुमार राउमावि कोठीनातनाम टोंक	15-Jul-78	SC	राबाउप्रावि फुलेता, उनियारा, टोंक	राउमावि देवली, टोंक	

उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
अजमेर मण्डल, अजमेर